तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ई. सी. एक्ट, 1955 प्रार्थना–पत्र संख्या 2021/18 श्री सरकार बनाम प्रकाश चन्द्र	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.2021	अप्रार्थी श्रीमती हेमलता पत्नि विनोद कुमार जाति कलाल निवासी नागीयोल हिम्मतनगर गुजरात हाल निवासी सतीरामपुर थाना सदर जिला डूंगरपुर बहैसियत वाहन मालिक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए (ख) ई. सी. एक्ट, 1955 के तहत वाहन संख्या वर्ष 2005 का ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर GJ 09 Y 6509 को छुडवाने बाबत पेश करने पर प्रस्तुत हुई है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अनुसंधान में वाहन की आवश्यकता होने के संबंध में विद्वान अभिभाषक ने बताया कि उक्त वाहन का प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। विभागीय पेरोकार ने बताया कि विपक्षी का उक्त वाहन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का अवैध रूप से निजी व्यक्ति के मकान पर खाली करने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं भरा होने से पुलिस थाना चौरासी को जप्ती में दिया गया था। अप्रार्थी के विरूद्ध 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ट्रक वाहन संख्या GJ 09 Y 6509 में राजस्व संघ डूंगरपुर के चालान अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं 121.93 क्वि. भरा हुआ था। श्री वखतराम के घर पर खाली किया गया/पाया गया गेहूं सेल्समेंन लेम्पस् सांसरपुर ब्लॉक झौंथरी को सुपुर्दगी में दिया गया एवं शेष 118.29 गेहूं ग्राम पंचायत डूंका के उचित मुल्य दुकानदार को पात्र लाभार्थियो को वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है। पुलिस रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नही है। अप्रार्थी के अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थी का जप्त शुदा वाहन पिछले करीब 5 माह से पुलिस थाना चौरासी के परिसर में पडा–पडा खराब हो रहा है और वाहन को अनिश्चित समय तक थाने में रोके नहीं रखा जा सकता है, जिन्हें सुपुर्दगीनामा एवं जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित है। उक्त वाहन लम्बे समय तक पुलिस थाना बिछीवाडा के रख–रखाव के अभाव में मशीनरी खराब होने का अंदेशा है। प्रार्थी उक्त वाहन को मुक्त कराने हेतु सुपुर्दगीनामा एवं जमानत प्रस्तुत करने तैयार है। उक्त वाहन को रिलीज किये जाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त वाहन ट्रक वर्ष 2005 जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर GJ 09 Y 6509 के संबंध में 5,00,000 रुपये (अक्षरे पांच लाख रूपये) का जमानतनामा निम्न शर्तो के साथ प्रस्तुत करने पर रिलीज किये जाने के आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण होने तक वाहन में किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल एवं बेचान नहीं किया जावे। न्यायालय को जब भी वाहन की आवश्यकता होगी अप्रार्थी वाहन को सुपुर्द करने हेतु पाबन्द रहेगा।	

जिला कलेक्टर
डूंगरपुर

थानाधिकारी पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर को निर्देश है कि इस प्रकरण में जब्त वाहन की अन्य किसी मामलें में आवश्यकता नहीं होने की दशा में उक्त वाहन पंजीकृत स्वामी को माफिक आदेश 5,00,000 रुपये (अक्षरे पांच लाख रूपये) का जमानत नामा प्रस्तुत करने पर तथा वाहन के मूल दस्तावेजों से मिलान करने के बाद लौटाया जावे। निर्णय अनुसार पालना करने हेतु थानाधिकारी चौरासी को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुभम् चौधरी)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)